संख्या– /।।–2018–03(67)/2015

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 26 जून, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य सैक्टर सर्वेक्षण तथा अनुसंधान मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1728/प्र0अ0/बजट/बी–1 (समान्य) दिनांक 04 मई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर सर्वेक्षण तथा अनुसंधान मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के अवशेष कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न विवरणानुसार रू0 29.83 लाख (रू0 उन्तीस लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	वर्ष 2017–18 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	कोसी नदी के वृहद श्रोत संवर्द्धन कार्य के अन्तर्गत झील निर्माण हेतु कोसी से सुमान पुल तक 06 स्थानों पर सर्वेक्षण, अनुसंधान एव डी0पी0आर तैयार करने की योजना।	27.05	11.05	16.00
2	जनपद नैनीताल के नैनीताल झील के जल स्तर में हो रही कमी का विस्तृत सर्वेक्षण एवं अध्ययन हेतु संकलित कार्य योजना	73.83	60.00	13.83
	Total	**100.88**	**71.05**	**29.83**

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2018 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

..2..

(iv) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(v) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3 (150)– 2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–005–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य–03–निर्माण कार्य–00–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3 (150)– 2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

संख्या– 1235 (1)/ II–2018–03(67)/2015तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव